

निलाम पत्र पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला

आदेश नं० १०८ जी० १८८५, बैंक, राशजकेला।

बनाम

क्रमांक - 2 श्री सुभाष प्रधान
आदेश फलक

आदेश पत्र तारीख

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

केस के प्रकार :- बैंक मूक।

से

संख्या :- 19 (1082) 16-7

निलाम पत्र :- 28,998-00

आ की क्रम
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की हुई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

अधियाची पदाधिकारी आदेश नं० १०८ जी० १८८५
आदेश नं० १०८ जी० १८८५, बैंक, सरायकेला। द्वारा दायर अधि-
याचना देखा। लोक मांग अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत
देनदार श्री सुभाष प्रधान
पिता-
पता- भादमठा जीह
पत्रालय- राई जीह थाना सरायकेला
जिला-सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध रकम 28,998-00
आदेश नं० १०८ जी० १८८५, बैंक, सरायकेला के विरुद्ध रकम 28,998-00
किए हैं।

देनदार को लोक मांग अधिनियम की धारा-7
के अन्तर्गत सूचना निर्गत करें एवं पंजी X में दर्ज करें।

दिनांक 24.10.17
को अभिलेख प्रस्तुत करें।

निलाम पत्र पदाधिकारी,
सरायकेला

थाना,
सरायकेला
48/17
11/08/17

15-06-18

आमिलेख उपस्थित किया गया।
आला प्रबंधक सह-अध्यापक) पदों पर कार्य कर
पंचायत मूल्य निर्धारण-25.04.18 के निर्देशों से
अकाया शाये पूर्ण बसूली कर लिया गया है।
अतः आमिलेख की कार्यवाही करवाई समाप्त
किया जाता है।


25/06/18
जी. ए. ए. ए. ए.
सहायक ले।